राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–देवतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

म्युटेशन अपील सं. 08 / 2016
दायरा तिथि 23.02.2016
आदेश तिथि 18.05.2016

अपीलांट:–	बनाम:	रेस्पोडेन्ट्स–
अचलाराम पुत्र नगारामजी जाति मेघवाल निवासी गुडालास तहसील बाली जिला पाली		1–सरपंच, ग्राम पंचायत देवतरा 2–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 R.L.R.Act,1956

–: आ दे श :–

दिनांक 18.05.2016

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–देवतरा में बरोज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में रेस्पोडेन्ट सं.01 व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत Set-aside प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9, नियम–7 सीपीसी को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील जवाब को रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत मय धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 600 दिनांक 18.06.2015 जिसे सरपंच, ग्राम पंचायत देवतरा द्वारा अस्वीकार किया है, को स्वीकार करने हेतु निवेदन करते हुए जाहिर किया है कि सरहद मौजा देवतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 455 व 463 कुल रकबा 2.14 हेक्टर में से 2/3 हिस्सा के खातेदार नेनाराम, अचलाराम पिसरान रामजी जातिगण मेगवंशी निवासीगण देवतरा से अपीलांट ने पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.09.2013 द्वारा खरीद की है तथा वक्त खरीद से मौके पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है, परन्तु अपीलांट की उपरोक्त खरीदसुदा व कब्जे काश्त की भूमि बाबत पटवारी देवतरा व भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा भरे गये अपीलाधीन म्युटेशन को बिना विधिक आधार के रेस्पोडेन्ट–सरपंच, ग्राम पंचायत देवतरा ने अस्वीकार कर दिया है, को स्वीकार फरमाकर अपीलांट को न्याय प्रदान करावे।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त कृषि भूमि संबंधित साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः हाल जमाबंदी संवत 2068–71, पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.09.2013 व अपीलाधीन म्युटेशन सं. 600 दिनांक 18.06.2015 के अवलोकन व परीक्षण से तथाकथित म्युटेशन अपील में वर्णित तथ्यों की बखूबी पुष्ठि होती है और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में अपील डिक्रे को कन्डोन करते हुए अपीलधीन म्युटेशन को रेस्पोडेन्ट–सरपंच, ग्राम पंचायत देवतरा ने विधि–विरूद्ध अस्वीकार किया है, के आदेश का निरस्त करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन बाबत विधिसम्मत् कार्यवाही द्वारा पुनः निस्तारण करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के स्वीकार की जाकर सरहद मौजा देवतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित अपीलांट द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.09.2013 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि हाल खसरा नं 455 व 463 कुल रकबा 2.14 हेक्टर में से 2/3 हिस्सा के बारे में अपीलाधीन म्युटेशन सं 600 दिनांक 18.06.2015 जिसे रेस्पोडेन्ट–सरपंच, ग्राम पंचायत देवतरा द्वारा अस्वीकार किया गया है, के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, साथ ही यह प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निदेश दिए जाते है कि वे अपीलाधीन म्युटेशन के बारे मे विधिसम्मत् कार्यवाही सुनिश्चित करके इसका पुन विधिवत् निस्तारण करें तथा पालना से पुन इस न्यायालय को अवगत् कराया जावे। आदेश की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश बरोज आज दिनांक 18.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–देवतरा मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner